

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)


निम्नांकित राज्य कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृति किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	सुरेश कुमार शर्मा	श्रीमाधोपुर-सीकर	COMM	08-07-1958	31-07-2018
2	त्रिभुवन ओझा	पुराना भवन-सिरोही	COMM	15-07-1958	31-07-2018
3	रामहेत पटोनिया	मोड़क गांव-कोटा	COMM	07-07-1958	31-07-2018
4	केवल राम कुम्हार	बीदासर-चूरु	COMM	01-05-1958	30-04-2018
5	दिनेश चन्द्र त्रिवेदी	निचला घण्टाला-बांसवाड़ा	COMM	10-03-1959	31-03-2019
6	जयन्ती लाल जैन	सज्जनगढ़-बांसवाड़ा	COMM	15-08-1958	31-08-2018
7	उपेन्द्र मेहता	सुरपुर-बांसवाड़ा	COMM	09-01-1959	31-01-2019
8	नरेन्द्र कुमार व्यास	सेवगों की बगेची-बीकानेर	COMM	01-01-1959	31-12-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

वास्तविक सेवानिवृति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नोट: नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।


(नथमल डिंडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2018-19

दिनांक- 27/03/18

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा- I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/मा/ संस्था/ए-2-7/ पदावनत / 2017 दिनांक-09.03.2018 के द्वारा श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि जिलाय, टोंक जो कि डीपीसी वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित प्रधानाचार्य है, को स्वयं की प्रार्थना पर प्रधानाचार्य के पद से व्याख्याता इतिहास के पद पर पदावनत किया गया ।

श्रीमती लक्ष्मी शर्मा को पदावनत होने पर पूर्व पद व्याख्याता इतिहास के पद पर राउमावि सिरस, निवाई-टोंक में पदस्थापित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर देवें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एपीओ पदस्थापन/18 दिनांक 28.03.18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
3. प्रधानाचार्य राउमावि जिलाय टोंक/सिरस टोंक
4. संबंधित कार्मिक
5. कार्यालय हाजा कम्प्यूटर अनुभाग/अनुभाग अधिकारी संस्थापन ए.बी अनुभाग/अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही है। यदि निम्नलिखित व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का उनके नाम सामने अंकितानुसार पद हेतु चयन हो जाता है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र. म.	कार्मिक का नाम	विषय	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा/पद हेतु आवेदन
01	अनिरुद्ध शर्मा	इतिहास	डुंगरली-कोटा	07.05.1981	सीबीएसई द्वारा आयोजित यूजीसी (नेट) परीक्षा 2018 में आवेदन करने हेतु।
02	सुरेश कालानी	इतिहास	गोटीपा (वल्लभनगर)-उदयपुर	06.11.1978	कॉलेज व्याख्याता साक्षात्कार में शामिल होने हेतु।
03	कन्हैयालाल	वाणिज्य	पिण्डवाड़ा-सिरोही	28.09.1983	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 (बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र) में शामिल होने हेतु।
04	सत्यनारायण राठी	इतिहास	गोपालसर (बालेसर)-जोधपुर	04.07.1988	कॉलेज व्याख्याता 2014 साक्षात्कार में शामिल होने एवं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) परीक्षा 2018 में शामिल होने हेतु।

यदि उक्त व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का चयन उनके नाम के सामने अंकितानुसार सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व विभाग से पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 28.03.18

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इति0-वाणि0/अनापत्ति/2017-18

प्रतिलिपि:-निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-


- 1 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
- 4 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक
- 5 रक्षित/निजी कार्मिक


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 13.03.2018 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री महेश चन्द्र हिण्डूनिया, व्याख्याता(इतिहास) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सनोद-अजमेर को प्रशासनिक कारणों से (एपीओ) पदस्थापन प्रतीक्षा में किया जाकर उनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर दिनांक 16.03.2018 से उपस्थिति दे रहे हैं।

श्री महेश चन्द्र हिण्डूनिया, व्याख्याता(इतिहास) का तत्काल प्रभाव से पदस्थापन GHSS SEWARI, NAGAUR (08140812206) में किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति नवपदस्थापन स्थान पर दें। सम्बन्धित तत्काल पालना करावें।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एपीओ/2018

दिनांक-२४.०३.१८

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा, अजमेर I/II
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 4 संबन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें। एपीओ अवधि का वेतन नवपदस्थापित स्थान से रिक्ति के आधार पर नियमान्तर्गत आहरित होगा।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक
- 6 अनुभाग अधिकारी, विभागीय जांच/शाला दर्पण कार्यालय हाजा
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर